फा.सं. 03-26/2020-ई.III.ए
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 29 जून, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एसएएस भाग-II/परिशिष्ट-II परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के कारण अनुभाग अधिकारी (लेखा) सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण की कार्य प्रणाली जिसमें विशेष भत्ता सम्मिलित है।

अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय/विभाग के दिनांक 03.01.1975 के पत्र संख्या 27023(41)/74 ईजी-I तथा रक्षा लेखा विभाग/वित्त मंत्रालय (रक्षा) के दिनांक 20.02.1972 के पत्र संख्या 11323/एसीसीटीएस/एएन जिसका संबंध एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विशेष वेतन के रूप में प्रोत्साहन राशि दिए जाने जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि सरकार द्वारा इस संबंध में जारी प्रासंगिक आदेशों के तहत **पदोन्नति पर वेतन निर्धारण करने के लिए विशेष वेतन को ध्यान में रखा जाएगा** का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.04.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/4/97-स्था (वेतन-II) के अनुसार **विशेष वेतन** जिसे इसके बाद से **विशेष भत्ता** कहा जाएगा और यह अब से **एफआर 9(25)** में यथानिर्धारित समान शर्तों के अध्यधीन प्रदान किया जाएगा।

2. यह देखा गया है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग प्रशासन से पूर्व अगले उच्च पद पर प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण पर विशेष भत्ते के निरूपण के संबंध में इस विभाग या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त निर्देश/दिशानिर्देश जारी नहीं किए जाने के कारण, विभिन्न लेखा संवर्ग पूर्व केंद्रीय वेतन आयोग व्यवस्था (5वें और 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग तथा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में व्यवस्था बदलने पर) में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिए विशेष भत्ते को शामिल करने की परिपाटी का अनुसरण किया जा रहा है जोकि उपर्युक्तानुसार तीसरे केंद्रीय वेतन आयोग में दिनांक 03.01.1975 तथा 20.02.1975 के पत्रों द्वारा वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग/रक्षा लेखा विभाग के पहले के जारी निर्देशों के अनुसार है।

3. चूंकि 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अर्हक वेतन/विशेष भत्ते पर महंगाई भत्ते के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की, अत: लेखा संवर्गों को प्रदान किए गए विशेष भत्ते/अर्हक वेतन पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता स्वीकार्य नहीं है। मूल वेतन में विशेष भत्ते को जोड़ने (एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने पर) तथा अगले उच्च सेल में वेतन का निर्धारण करने की परिपाटी का अर्थ इस भत्ते को वेतन के रूप में सभी उद्देश्यों के लिए निरूपित किया जाना होगा जो न सिर्फ निर्धारित मौद्रिक लाभ के सिद्धांत को कमजोर बनाएगा बल्कि इसका परिणाम एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि होगी। यह 7वें केन्द्रीय वेतन

अशोक कुमार

आयोग के पैरा 8.9.45 के अनुरूप भी नहीं है जिसमें यह उल्लेख है कि महंगाई भत्ता अर्हक वेतन/विशेष भत्ते पर स्वीकार्य नहीं है।

4. उपर्युक्त की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अगले उच्च पद पर पदोन्नति होने पर विशेष भत्ते के निरूपण के लिए उत्तरव्यापी प्रभाव से निम्नलिखित निर्देशों/दिशानिर्देशों को अपनाया जाएगा:

(i) एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रदान किए जाने वाले विशेष भत्ते के अवयव को एकमात्र अवयव माना जाएगा अर्थात् प्रथम वर्ष के लिए 360 रु और दूसरे वर्ष एवं इसके बाद से 630 रुपये का विशेष भत्ता।

(ii) विशेष भत्ते पर महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते स्वीकार्य नहीं होंगे।

(iii) सरकारी कर्मचारी के एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर अगले उच्च पद/ग्रेड में पदोन्नति नहीं होने तक विशेष भत्ता स्वीकार्य होगा।

(iv) एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर अगले उच्च पद पर पदोन्नति होने पर, विशेष भत्ते का अवयव पदोन्नति पर अगले उच्च पद पर वेतन निर्धारण करने के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

(v) इस प्रकार की पदोन्नति पर, ऐसे कर्मचारी का वेतन सीसीएस (आरपी) नियमावली 2016 के नियम 13 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अशोक कुमार
29/06/2022
(अशोक कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 2309 5650

सेवा में

(i) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली
(ii) सीजीडीए का कार्यालय, वरिष्ठ उप सीजीडीए, उलान बतर रोड, पालम, दिल्ली कैंट
(iii) दूरसंचार विभाग, निदेशक एसईए, संचार भवन, नई दिल्ली
(iv) डाक विभाग, संयुक्त सचिव (प्रशासन/स्था.), संचार भवन, नई दिल्ली
(v) महालेखानियंत्रक का कार्यालय, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, ई-ब्लॉक, आईएनए, नई दिल्ली।
(vi) रेल मंत्रालय, उप. निदेशक स्था (पी एंड ए) II, नई दिल्ली।